न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2014 (राजसमन्द डिकी)

1. श्रीमती मेहताबी बेवा स्वर्गीय माधु जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती कमला पुत्री स्वर्गीय माधु जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती भागवन्ती पुत्री स्वर्गीय माधु जी पत्नी शंकर जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय माधु जी पत्नी देवीलाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती ललिता पुत्री स्वर्गीय माधु जी पत्नी मिठ्ठालाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती लहरी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती देउ जाट, निवासी लडपचा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती नोसर पुत्री स्वर्गीय श्रीमती हगामी जाट, निवासी सांसेरा की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सोहनलाल पुत्र स्वर्गीय श्रीमती हगामी जाट, निवासी बेड़ा का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती संतोषी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती हगामी जाट, निवासी बेड़ा का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती गणेशी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती हगामी जाट, निवासी सांसेरा की खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. समन्दर पुत्र स्वर्गीय श्रीमती दाखी जाट, निवासी वडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. किशनलाल पुत्र स्वर्गीय श्रीमती दाखी जाट, निवासी वडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

8. मेहताबी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती दाखी जाट, निवासी उसरोल, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

9. पारस पुत्री स्वर्गीय श्रीमती दाखी जाट, निवासी काबरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

10. रतनलाल पिता स्वर्गीय रोशनलाल जी जाट, नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती कमला बेवा रोशनलाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. सीमा पिता स्वर्गीय रोशनलाल जी जाट, नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती कमला बेवा रोशनलाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

12. श्रीमती कमला बेवा रोशनलाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

13. उदयराम पिता किशना जी, निवासी राजपुरा (मृतक) के बजाय :–

13/1. शंकरलाल पिता उदयराम जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

13/2. सोहनी पुत्री उदयराम जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

13/3. श्रीमती मगनी पुत्री उदयराम जी पत्नी चतुर्भज जी जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

13/4. श्रीमती गोपी पुत्री उदयराम जी पत्नी रतनलाल जी जाट, निवासी काबरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14. कालु पिता बालु जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

15. छोगालाल पिता अमरा जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क किया गया।

16. जवाहर पिता वेणीराम जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

17. श्रीमती बदामी पुत्री वेणीराम जी पत्नी किशनलाल जी जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

18. श्रीमती कंकू पुत्री वेणीराम जी पत्नी बदरीलाल जी जाट, निवासी माता जी का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

19. श्रीमती अणछी पुत्री वेणीराम जी पत्नी बदरीलाल जी जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

20. श्रीमती ख्याली पुत्री वेणीराम जी पत्नी जमनालाल जी जाट, निवासी मेवदा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

21. श्रीमती गणेशी पिता सोला जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

22. श्रीमती किशोरी बाई पत्नी छोगालाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

23. श्रीमती रामी देवी पत्नी माधवलाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

24. शंकरलाल पिता उदयराम जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

25. श्रीमती शंकरी बाई पुत्री सोला जी पत्नी मूलचन्द जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

26. श्रीमती सोहनी बाई पत्नी माधुलाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 21.05.2012, प्र.सं. 135/10

———:::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री एस.एस. पालीवाल अभि॰रे॰सं॰ 6, 10, 11
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 27

———:::———

निर्णय दिनांक

27—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि गांव राजपुरा में स्थित है, जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''क'', ''ख'', ''ग'', व ''घ'' में किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''घ'' में वर्णित भूमियां रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा, जिसका वर्णन वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ ''द'' में किया गया है, उक्त भूमियां स्वर्गीय सवाईराम जी ने कय की थी, किन्तु विकय पत्र माधुलाल के नाम लिखाया था, जो सवाईराम का दोहिता था। इस कारण उक्त भूमियों में सवाईराम के सभी वारिसान का समान हक व हिस्सा है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''क'', ''ख'', ''ग'', व ''घ'' की भूमियां जिनका वर्णन वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ ''अ'', ''ब'', ''स'' व ''द'' में किया गया है, उक्त भूमियां भी स्वर्गीय सवाईराम जी की ही हैं। अतः वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ ''अ'', ''ब'', ''स'' व ''द'' में वणित भूमियां का वाद पत्र की कलम संख्या 13 व 14 अनुसार पृथक–पृथक हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई भी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादीगण की शहादत लेकर एवं उनकी बहस सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 21–05–2012 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–05–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07–05–2019 को उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई, जिसकी नकल

अपीलान्टगण को दिनांक 21–05–2014 को प्राप्त होते ही यह अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने गलत रूप से पटवारी से जानकारी होने का कथन किया है एवं इस संबंध में पटवारी का कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। तद्नुसार इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त आवेदन खारिज किया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–05–2012 को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय में 60 दिवस अर्थात दिनांक 20–07–2012 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि अपीलान्टगण द्वारा यह अपील दिनांक 29–05–2014 को अर्थात करीब 1 वर्ष 10 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए मात्र यह आधार लिया है कि उन्हें पटवारी से नकल लेने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। इसके अलावा अन्य कोई कारण अपीलान्टगण द्वारा अंकित नहीं किया गया है, जबकि 1 वर्ष 10 माह के विलम्ब के लिए ठोस कारण होना आवश्यक है। अपीलान्टगण ने यह भी नहीं बताया कि दिनांक 07–05–2014 को उन्हें अचानक नकल लेने की क्यों आवश्यकता हुई ? अपीलान्ट यदि पटवारी से उक्त निर्णय की जानकारी होना बताया गया है तो उन्हें इसके लिए पटवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इतने लम्बे विलम्ब के लिए अपीलान्टगण द्वारा जो कारण वर्णित किये गये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

श्रीमती मेहताबो बेवा स्व. माधु जाट बनाम श्रीमती लहरी पुत्री स्व. श्रीमती देउ

निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा जाट नि0 लडपचा, तह0 रेलमगरा,

जिला राजसमन्द व अन्य जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....13 / 2014.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....21.....माह..... 05.....2012

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....27....माह.....06.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री अक्षय पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री एस. एस. पालीवाल

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2012 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....06..... 2019

को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।